



E-AUCTION

DD FREE DISH E-AUCTION OF MPEG-2

Prasar Bharati invites applications for allotment of vacant MPEG-2 slots of DD Free Dish DTH Platform for the period from 06.08.2020 to 31.03.2021 through on line e-auction process.

The slots will be allotted as per procedure explained in Clause (r) of Annexure-2 of the policy guidelines for allotment of DD Free Dish slots, notified on 15.01.2019 and as amended vide amendment notified on 01.11.2019 which are available on the websites, <http://doordarshan.gov.in> and <http://prasarbharati.gov.in>. E-auction, if required, will be held on 28.07.2020.

Only satellite channels licensed by the Ministry of I&B for downlinking in India would be allotted slots on DD Free Dish. Only license holder company or their authorized distributor partners can apply for allocation of DD Free Dish slot.

In case the applicant company is other than licensee, the document/agreement signed between license Holder Company and applicant company authorizing the applicant/bidder for distribution of the channel and bidding on behalf of the licensee must be submitted.

International Public Broadcasters licensed/registered/ permitted by the Ministry of I&B can also participate in e-auction.

Categorization of TV channels in different buckets in accordance with genres/language of channel and their starting reserve price for the allotment period will be as shown in table.

Broadcasters desirous of



एमपीईजी-२ की ई-नीलामी करेगा डीडी फ्री डिश

प्रसार भारती ने ई-नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से 06.08.2020 से

31.03.2021 तक की अवधि के लिए डीडी फ्री डिश डीटीएच प्लेटफॉर्म के खाली एमपीईजी-२ स्लॉट के आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित किया है।

डीडी फ्रीडिश के स्लॉट के आवंटन के लिए नीति दिशा-निर्दशों के अनुलग्नक-२ के खंड (आर) में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार स्लॉट आवंटित किये जायेंगे, जिसे 15.01.2019 को अधिसूचित और वेबसाइट <http://doordarshan.gov.in> और <http://prasarbharati.gov.in> पर उपलब्ध 01.11.2019 को अधिसूचित संशोधन के अनुसार यदि आवश्यक होगा तो 28.07.2020 को ई-नीलामी आयोजित की जायेगी।

सिर्फ भारत में डाउनलिंकिंग के लिए आई एंड वी द्वारा लाइसेंस प्राप्त सेटेलाइट चैनलों को ही डीडी फ्री डिश पर स्लॉट आमंत्रित किये जायेंगे। केवल लाइसेंस धारक कंपनी या उनके अधिकृत वितरक भागीदार ही डीडी फ्री डिश स्लॉट के आवंटन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

यदि आवेदक कंपनी लाइसेंसधारी के अलावा है, तो लाइसेंस धारक कंपनी और आवेदक कंपनी के बीच हस्ताक्षरित दस्तावेज़/समझौता, जो आवेदक/वालीदाता को चैनल के वितरण के लिए अधिकृत करता है और इसके लिए लाइसेंसधारक की ओर से बोली प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

आईएंडवी मंत्रालय द्वारा लाइसेंस प्राप्त/ पंजीकृत/ अनुमति प्राप्त अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक प्रसारणकर्ता भी ई-नीलामी में भाग ले सकते हैं।

चैनल की भाषा/वर्ग के अनुसार अलग-अलग वकेट में टीवी चैनलों का वर्गीकरण और आवंटन अवधि के लिए उनके शुरूआती आरक्षित मूल्य को टेबल में दिखाया गया है। डीडी फ्री डिश पर स्लॉट के आवंटन के

Bucket	Genre/language of channel	Starting Reserve Price (Rs) (06/08/2020 to 31.03.2021)
Bucket A+	All GEC (Hindi) Channels	103736000
Bucket A	All Movie (Hindi) Channels	88840000
Bucket B	All Music (Hindi) Channels, Sports (Hindi) Channels, GEC (Bhojpuri), Movies (Bhojpuri) and Teleshopping (Hindi) channels	80347000
Bucket C	News & Current Affairs (Hindi) Channels, News & Current Affairs (English) and News & Current Affairs (Punjabi) Channels	80021000
Bucket D	All other remaining Genre (Language) Channels and Teleshopping (Regional) channels	40827000



allotment of slot on DD Free Dish are required to provide clear and unambiguous proof in support of genre classification of their channel. In case of lack of clarity, ambiguity or conflicting information, applications will be deemed ineligible and may be summarily rejected. For details please refer checklist of documents provided with the application form.

Successful bidders shall be required to make the payments in 06 monthly installments as per payment schedule prescribed under clause (5) of the policy guidelines for allotment of DD Free Dish slots. Each installment will be 1/6th of difference of bid amount and participation fee.

Online training will be provided to all eligible participants before the commencement of actual e-Auction.

If required, Prasar Bharati/Doordarshan can extend e-Auction to the next day or as the case may be.

For details like e-auction process, terms & conditions and payment schedule etc. please refer to policy guidelines available on the website, <http://doordarshan.gov.in> and <http://prasarbharati.gov.in>.

Prasar Bharati reserve the rights to accept/reject/cancel/amend the e-Auction/slot at any time during the e-Auction or after e-Auction.

Interested broadcasters may apply online at <https://fdslots.prasarbharati.org> and upload all requisite documents as prescribed in the application. Please note that it is mandatory to pay the non-refundable processing fee of ₹ 25,000/- online at above portal to submit the application. The participation fee of ₹ 1.50 Crore (Rupees one crore fifty lakhs only) is to be paid only through Demand Draft. A copy of the participation fee demand draft is to be uploaded online.

Before, starting filling up of online application, please ensure that all documents provided in ANNEXURE-1, including processing fee Demand Draft, are ready available with you for uploading.

After submission of online application, the original demand draft for participation fee along with printout of acknowledgement received on authorized e-mail after submission of online application is to be submitted in sealed cover either in person or by Speed/Registered Post addressed to Director (DTH), Room No. 601, Tower-A, Directorate General: Doordarshan, Doordarshan Bhawan, Copernicus Marg, New Delhi-110001 latest by 27.07.2020 3.00 P.M.

For unsuccessful bidders, participation fee will be refunded within three weeks after the declaration of the results of e-auction. For successful bidders, participation fee will be adjusted in the final installment of the carriage fee/bid amount.

ईच्छुक प्रसारकों को अपने चैनल के शैली वर्गीकरण के समर्थन में स्पष्ट और अस्पष्ट प्रमाण प्रदान करना आवश्यक है। स्पष्टता की कमी, अस्पष्टता या परस्पर विरोधी जानकारी के मामले में, आवेदन अयोग्य समझा जायेगा और सरकारी तौर पर खारिज कर दिया जा सकता है। विवरण के लिए कृपया आवेदनपत्र के साथ प्रदान किये गये दस्तावेजों की चेकलिस्ट देंगे।

डीटी फ्रीडिश स्लॉट के आवंटन के लिए नीति दिशानिर्देशों के खंड (5) के तहत निर्धारित भुगतान अनुसूची के अनुसार सफल बोलीदाताओं को 06 मासिक किस्तों में भुगतान करना आवश्यक होगा। प्रत्येक किस्त, बोली राशि और भागीदारी शुल्क के अंतर का 1/6 वां हिस्सा होगी।

वास्तविक ई-नीलामी शुरू होने से पहले सभी पात्र प्रतिभागियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

आवश्यकता पड़ने पर प्रसार भारती/दूरदर्शन ई-नीलामी को अगले दिन या जैसाभी मामला हो आगे बढ़ा सकता है।

ई-नीलामी प्रक्रिया के नियम, शर्तें और भुगतान अनुसूची आदि जैसे विवरणों के लिए कृपया वेबसाइट <http://doordarshan.gov.in> और <http://prasarbharati.gov.in> पर उपलब्ध नीति दिशा-निर्देश देंगे।

प्रसार भारती ई-नीलामी के दौरान या ई-नीलामी के बाद किसी भी समय ई-नीलामी/स्लॉट को स्वीकार/अस्वीकार/ रद्द/संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

ईच्छुक प्रसारणकर्ता <https://fdslots.prasarbharati.org> पर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है और आवेदन में निर्धारित सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि आवेदन प्रस्तुत करने के लिए उपरोक्त पोर्टल पर 25,000₹ का ऑनलाइन नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य है। 1.50 करोड़ रुपये (एक करोड़ पचास लाख रुपये) की भागीदारी शुल्क का भुगतान केवल डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से किया जाना चाहिए। भागीदारी शुल्क डिमांड ड्राफ्ट की एक प्रति ऑनलाइन अपलोड की जानी चाहिए।

ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले, कृपया मुनिश्चित करें कि प्रोसेसिंग शुल्क डिमांड ड्राफ्ट सहित अनुवंध-1 में दिये गये सभी दस्तावेज आपके पास अपलोड करने के लिए उपलब्ध हैं।

ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद अधिकृत ई-मेल पर प्राप्त पापती के प्रिंटाउट के साथ भागीदारी शुल्क के लिए मूल डिमांड ड्राफ्ट, व्यक्तिगत रूप से या स्पीड/रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा सील कवर में डॉयरेक्टर (डीटीएच), रुम नंबर.601, टॉवर-ए, महानिंदेशक, दूरदर्शन भवन, कोपरनिक्स मार्ग, नयी दिल्ली-110001 को 27.07.2020 के दोपहर 3 बजे तक प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

इस नीलामी में असफल बोलीदाताओं के लिए परिणामों की घोषणा के बाद तीन सप्ताह के भीतर भागीदारी शुल्क वापस कर दिया जायेगा। सफल बोली लगाने वालों के लिए सहभागिता शुल्क को कैरिज शुल्क/नीलामी रकम के अंतिम किस्त में समायोजित किया जायेगा।



E-AUCTION

ANNEXURE-1: LIST OF DOCUMENTS TO BE UPLOADED ONLINE

1. Copy of Downlinking permission of the TV channel issued by Ministry of Information and Broadcasting.
2. Copy of Uplinking permission of the TV channel issued by Ministry of Information and Broadcasting (If channel is uplinked from India).
3. Copy of logo of channel permitted by Ministry of Information and Broadcasting
4. Copy of Demand Draft of ₹1.50 Crore (Rupees one Crore fifty lakhs only) towards participation fee from any scheduled bank in favour of PB (BCI) Doordarshan Commercial Service, New Delhi.
5. Documents in support of genre classification of channel:
 - A. Documents to be provided by already operational channels for genre classification:
 - a. Documentary evidence for presence of channel on MSO/DTH platforms and genre in which channel has been placed in those platforms.
 - b. Additionally any documentary evidence from regulatory/Govt. authorities (TRAI, MIB) that could clearly establish the genre classification, if any.
 - c. Documentary evidence from Television rating Agency (eg: BARC) that could clearly establish their genre classification, if any.
 - B. Documents to be provided by channels which are not on air on date of application for genre classification;
 - a. The certified copy of Application Form-1, submitted to Ministry of Information and Broadcasting for permission to downlink TV Channels in India, where in Point No.6 of Part (C) of the Application Form-1, the "Category of channel" should have been clearly defined and further in Point No.7 of Part (C) of the Form-1 the special subject for the channel should have been specified.
 - b. Additionally, publicly available evidence (Press release, website, social media, any other marketing materials etc) that substantiate and establish the intent to launch the channel, within a declared time frame.
 - c. Any further documentation regarding the launch plan on other distribution platforms.
 - d. Their proposed FPC consistent with genre declared.
6. Document with regard to relationship of bidder/Applicant company with licensee of the TV channel.
7. Authority letter from the licensee of the channel in case applicant company is not the licensee.
8. Undertaking in the format enclosed.
9. Authority letter in respect of person with phone no and email id authorising to bid in e-auction

Successful Channels will be required to arrange their own IRD Box in advance at DTH Earth Station, Todapur, New Delhi, to place their Channel on DD Free Dish Platform. ■

अनुबंध-१४ ऑनलाइन अपलोड किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची

1. सूचना व प्रसारण मंत्रालय की ओर से जारी टीवी चैनल की डाउनलिंक अनुमति की कॉपी।
2. सूचना व प्रसारण मंत्रालय की ओर से जारी टीवी चैनल की अपलिंक अनुमति की कॉपी। (यदि चैनल को भारत से अपलिंक किया जा रहा है)
3. सूचना व प्रसारण मंत्रालय की ओर से अनुमति प्रदान किये गये चैनल का लोगो की कॉपी
4. पीवी (वीसीआई) दूरदर्शन वाणिज्यिक सेवा, नयी दिल्ली के पश्च में किसी भी अनुमूलित बैंक से भागीदारी शुल्क के लिए 1.50 करोड़ (एक करोड़ पचास लाख रुपये मात्र) के डिमांड ड्रॉफ्ट की कॉपी।
5. चैनल के शैली वर्गीकरण के समर्थन में दस्तावेज़
 - (ए) शैली वर्गीकरण के लिए पहले से ही परिचालन चैनलों द्वारा प्रदान किये जाने वाले दस्तावेज़:
 - ए. एमएमओ/डीटीएच प्लेटफॉर्म पर चैनल की उपस्थिति के लिए दस्तावेजी साक्ष्य और शैली, जिसमें चैनल को उस प्लेटफॉर्म में रखा गया है।
 - बी. इसके अतिरिक्त नियामक/सरकार से किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य प्राथिकरण (ट्राई, एमआईवी) जो कि स्पष्ट रूप से शैली वर्गीकरण को स्थापित कर सकता है, यदि कोई हो।
 - सी. टेलीविजन रेटिंग एजेंसी (जैसे वीएआरसी) से दस्तावेजी साक्ष्य जो स्पष्ट रूप से अपनी शैली का वर्गीकरण स्थापित कर सकता है, यदि कोई हो।
 - (बी) उन चैनलों द्वारा प्रदान किये जाने वाले दस्तावेज जो शैली वर्गीकरण के लिए आवेदन की तारीख को अँग एयर नहीं है:
 - ए. आवेदन फॉर्म-1 की प्राप्तिकॉपी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय को भारत में टीवी चैनलों की डाउनलिंक करने की अनुमति के लिए प्रस्तुत किया की गयी है, जहाँ आवेदन पत्र-1 के भाग (सी) के बिंदु संख्या 6 में, 'चैनल की श्रेणी' को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए और आगे के भाग संख्या (सी) के भाग संख्या (सी) के लिए विशेष विषय चैनल को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए था।
 - बी. इसके अतिरिक्त सार्वजनिक रूप से उपलब्ध साक्ष्य (प्रेस विज़ाप्ट, वेबसाइट, सोशल मीडिया, किसी भी अन्य विपणन सामग्री आदि) जो एक निश्चित समय सीमा के भीतर चैनल लॉन्च करने के इरादे को प्रमाणित और स्थापित करते हैं।
 - सी. अन्य वितरण प्लेटफॉर्म पर लॉन्च योजना के बारे में कोई और दस्तावेजीकरण।
 - डी. उनकी प्रस्तवित एफपीसी, घोषित शैली के साथ स्थिर है।
6. टीवी चैनल के लाइसेंसधारी के साथ बोलीदाता/आवेदक कंपनी के संबंध के मामते के साथ दस्तावेज।
7. यदि आवेदक कंपनी लाइसेंसधारी नहीं है तो चैनल के लाइसेंसधारी से अधिकार पत्र।
8. बताये गये प्रारूप में वचन लेना
9. ई-नीलामी में बोली लगाने के लिए अधिकृत फोन नंबर और ईमेल आईडी वाले व्यक्ति के संबंध में प्राधिकरण पत्र।

अपने चैनल को डीडी फ्रीडिश प्लेटफॉर्म पर रखने के लिए सफल चैनलों को डीटीएच अर्थ स्टेशन, टोडापुर, नयी दिल्ली में अग्रिम रूप से अपने स्वंय के आईआरडी वॉक्स की व्यवस्था करने की आवश्यकता होगी। ■